Indian J. Soc & Pol. 03(01): 2016 : 49-54 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

श्रीलंका में लोकतंत्र के संकटः प्रजातीय समस्या

कृष्ण कुमार सिंह[1]
[1]अतिथि शिक्षक,राजनीतिशास्त्र विभाग,इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

श्रीलंका का समाज बहुप्रजातीय, बहुधार्मिक एवम् बहुसांस्कृतिक है। वहां की दो प्रमुख प्रजातियां क्रमशः तमिल एवम् सिंहली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना हुई। मात्र सिंहला अधिनियम 1956 ने श्रीलंका में प्रजातीय समस्या को बहुत जटिल बना दिया। भाषायी भेदभाव के कारण प्रजातीय समस्या लगातार उग्र होती गयी और अंततः वहां पर राज्य एवम् तमिल संगठन – लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम के मध्य गृहयुद्ध शुरू हो गया। गृहयुद्ध लगभग तीन दशकों तक चला। जिसका ीायंकर परिणाम राज्य एवम् श्रीलंकाई जनता को चुकाना पड़ा । प्रजातीय बहुसंख्यकवाद की नीति ने श्रीलंका में एक प्रकार से लोकतंत्र को असफल बना दिया। लोकतंत्र के सशक्तिकरण एवम् शान्ति की स्थापना के लिए श्रीलंका में संघीय शासन की स्थापना अनिवार्य है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी प्रजातीय समस्या के सन्दर्भ में श्रीलंका में लोकतंत्र के सम्मुख उत्पन्न होने वाले संकटों पर प्रकाश डाला गया है।

KEYWORDS: *श्रीलंका, लोकतंत्र, प्रजाति, तमिल, सिंहली*

1940 के दशक के अन्तिम वर्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के पश्चात् स्वतंत्र राज्यों की स्थापना एवं वहाँ लोकतंत्र को शासन प्रणाली के रूप में अपनाये जाने की घटना के गवाह बने। सन् 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् वहाँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया वहीं अगस्त 1947 में अपने अस्तित्व में आने के बाद पाकिस्तान में भी लोकतंत्र को अपनाया गया। फरवरी 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ और उसने भी शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को ही अपनाया। 1950 के दशक में नेपाल को लोकतंत्र का अनुभव प्राप्त हुआ वहीं 1970 के दशक के आरम्भ में अपने अस्तित्व में आने के बाद इस क्षेत्र के सबसे नवीन राज्य बांग्लादेश ने लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार किया। दक्षिण एशियाई देशों में लोकतंत्र का अनुभव मिला–जुला रहा है। जहाँ एक ओर भारत में लोकतंत्र की जड़ें लगातार मजबूत हुई हैं वहीं अन्य देशों पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में लोकतंत्र सैन्यतंत्र द्वारा प्रतिस्थापित होता रहा है। सन् 2008 में नेपाल में राजशाही की समाप्ति तक वहाँ लोकतंत्र एवं राजतंत्र के मध्य आँख मिचौली का खेल चलता रहा। यद्यपि 1948से अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र औपचारिक रूप से विद्यमान रहा है लेकिन प्रजातीय समस्या ने वहाँ पर लोकतंत्र के लिए गम्भीर संकट पैदा कर दिया है।

श्रीलंका की फरवरी 1948 में स्वतंत्रता के साथ ही वहाँ राजनीतिक इतिहास का नवीन युग शुरू हुआ। 1946 का *'सोलबरी'* संविधान कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहा एवं इस संविधान के अनुसार वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। संसदीय शासन प्रणाली 1978 तक लागू रही। 1972 के संविधान ने श्रीलंका को *'गणराज्य'* घोषित किया। 1978 के संविधान द्वारा वहाँ पर *'कार्यकारी राष्ट्रपति'* का पद सृजित किया गया जो कार्यपालिका के फ्रेंच मॉडल पर आधारित है। वर्तमान समय में 1978 का संविधान लागू है। नया संविधान *'लोकतान्त्रिक समाजवादी गणराज्य'* की स्थापना करता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिनिधमूलक जनतंत्र के साथ–साथ स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मौलिक मानवाधिकार तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गयी है।

यद्यपि स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका ने औपचारिक रूप से अपने यहाँ लोकतंत्र को बनाये रखा लेकिन लम्बे समय तक चले गृहयुद्ध ने राजनीति की आधारभूत संरचना को क्षतिग्रस्त कर दिया। श्रीलंका में लोकतान्त्रिक देशों की भाँति समयावधिक चुनाव हो रहे हैं। संविधान के अनुसार श्रीलंका एक *'लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य'* है, परन्तु वास्तव में वहाँ व्यावहारिक रूप में लोकतंत्र काम नहीं कर पा रहा है। आजादी के कुछ समय बाद से ही श्रीलंका में लोकतंत्र अनेक गंभीर संकटों का सामना कर रहा है, जिसमें प्रजातीय समस्या, सामाजिक अन्याय, मानवाधिकारों का उल्लंघन, गरीबी आदि प्रमुख हैं।

यह लेख सिद्ध करता है कि श्रीलंका में सरकार की प्रजातीय बहुसंख्यकवाद की नीति ने वहाँ पर एक प्रकार से लोकतंत्र को असफल बना दिया है। सामाजिक अन्याय एवं मानवाधिकारों के व्यापक हनन ने देश को लगभग तीन दशक तक रक्तरंजित गृहयुद्ध की आग में जलाया। लेख के आरम्भ में श्रीलंका की प्रजातीय, धार्मिक एवं भाषाई संरचना बताई गयी है। अगले भाग में वहाँ की प्रजातीय समस्या के मूल कारण–भाषायी भेदभाव को स्पष्ट किया गया है। तीसरे भाग में प्रजातीय समस्या के परिणाम एवं इस समस्या ने किस तरह वहाँ पर लोकतंत्र के लिए संकट पैदा किया है, इस पर प्रकाश

1: Corresponding Author

डाला गया है। चौथे भाग में प्रजातीय समस्या के समाधान के लिए सुझाव दिये गये हैं।

श्रीलंका की प्रजातीय, धार्मिक–भाषायी संरचना

भारत के समान श्रीलंका भी एक बहुप्रजातीय, बहुधार्मिक एवं बहुभाषी देश है। श्रीलंका में प्रजातीय पहचान बहुत मजबूत है। सम्पूर्ण श्रीलंका में होने वाली अन्तिम जनगणना सन् 1981 में हुई थी जिसके अनुसार वहाँ की प्रजातीय संरचना इस प्रकार थी–

सारणी–1

श्रीलंका की प्रजातीय संरचना

प्रजातीय समूह	जनसंख्या का प्रतिशत
सिंहली	73.95
श्रीलंकाई तमिल	12.70
भारतीय तमिल	5.52
मूर (मुस्लिम)	7.05
अन्य	0.77

स्रोतः स्टेटिस्टिक पॉकेट बुक ऑफ दि डिमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, डिपार्टमेंट ऑफ सेन्सस एंड स्टेटिस्टिक, कोलम्बो, 1996, पृष्ठ 15–16

श्रीलंका की दो महत्वपूर्ण प्रजातियाँ– सिंहली एवं तमिल हैं। सिंहली, सदियों से चले आ रहे भारतीय अप्रवासी तथा यहाँ के मूल निवासियों, जिनके अवशेष अभी भी अपनी जगह आबाद हैं, का सम्मिश्रण है। श्रीलंका की आबादी की एक बड़ी बहुसंख्या सिंहली प्रजाति है। तमिल प्रजाति के लोग दो वर्गों में विभाजित है– श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिलों की उत्पत्ति 11वीं सदी में दक्षिणी भारत के तमिल चोलों द्वारा हुए हमले के समय हुई। ये लोग मूलतः उत्तरी श्रीलंका के जाफना क्षेत्र एवं पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आबाद हैं। ब्रिटेन ने सीलोन (वर्तमान में श्रीलंका) पर अधिकार करके इसे साम्राज्यगत उपनिवेश बना लिया और इसे बागान के व्यापारिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया। अंग्रेजों ने भारत के तत्कालीन मद्रास प्रान्त के लोगों को वहाँ बसने के लिए प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के मध्य एवं 20वीं सदी के आरम्भ में आये इन खेतिहर मजदूरों से जो आबादी हुई, वह भारतीय तमिल के रूप में जानी जाती है। इन दो बड़ी प्रजातियों के अतिरिक्त वहाँ कुछ अन्य जातियाँ भीय निवासियों के सम्मिलन से उत्पन्न हुए हैं, ईसाई हैं तथा इनकी आबादी एक प्रतिशत से भी कम है। स्थानीय आबादी को वेद्दाह कहा जाता है जो कुछ ही हजार हैं। श्रीलंका की 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या का भारत से सम्बन्ध रहा है। इस तरह श्रीलंका की राजनीति में बहुसंख्यक/अल्पसंख्यक समस्या का स्रोत भी भारत ही है। सिंहली आर्य नस्ल से और तमिल द्रविड़ियन प्रजाति से सम्बन्धित हैं।

1981 की जनगणना के अनुसार श्रीलंका में धार्मिक अनुयायियों का प्रतिशत इस प्रकार दर्शाया जा सकता है।

सारणी–2

श्रीलंका की जनता की धार्मिक संरचना

धर्म	श्रीलंका की जनसंख्या में अनुयायियों का प्रतिशत
बौद्ध	69.30
हिन्दू	15.48
ईसाई (मुख्यतः कैथोलिक)	7.61
इस्लाम	7.55

स्रोतः स्टेटिस्टिक पॉकेट बुक ऑफ दि डिमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, डिपार्टमेंट ऑफ सेन्सस एंड स्टेटिस्टिक, कोलम्बो, 1996, पृष्ठ 14

श्रीलंका एक बहुधर्मी देश है परन्तु बौद्ध धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है। बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजधर्म है। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त यहाँ हिन्दू, इस्लाम एवं ईसाई धर्म के अनुयायी निवास करते हैं। ईसाई धर्म ने प्रत्येक प्रजाति/जाति में (मुसलमानों को छोड़कर) अपने अनुयायी पैदा किये हैं। इसका कारण लंबे समय तक विस्तृत औपनिवेशिक शासन रहा है। 1981 की जनगणना के अनुसार श्रीलंका में बौद्ध 69.3 प्रतिशत, हिन्दू 15.48 प्रतिशत, मुस्लिम 7.55 प्रतिशत एवं ईसाई 7.61 प्रतिशत थे। श्रीलंका में धार्मिक विभिन्नता दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में कुछ अधिक है।

श्रीलंका की दो प्रमुख भाषाएँ हैं– सिंहला एवं तमिल। श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल एवं तमिल मुस्लिम (श्रीलंकाई मूर) तमिल भाषा बोलते हैं।(*इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, भाग 18, संख्या 39*, सितम्बर 24, 1983, 1657.) सिंहली प्रजाति के लोग सिंहली भाषा का प्रयोग करते हैं। बर्गस अंग्रेजी या सिंहली बोलते हैं। अंग्रेजी सभी समुदायों के एक भाग द्वारा बोली जाती है। इस देश में भाषायी तनाव, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए बहुत बड़ा कारक बन चुका है। तमिल भाषा का सम्बन्ध द्रविड़ भाषायी परिवार से है। इसे बोलने वाले लोग अधिकतर उत्तरी श्रीलंका–जाफना में केन्द्रित हैं। सिंहला भाषा यहाँ की अधिकतर जनता बोलती है। सिंहला भारतीय आर्यों की भाषा वर्ग से सम्बन्धित है। सन् 1956

में सिंहला इस देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी गयी थी और प्रत्येक नागरिक के लिए इसे अनिवार्य बना दिया गया था। इस फैसले से राष्ट्र की सिंहली एवं तमिल जातीय समस्या और भी जटिल हो गयी। मात्र सिंहला अधिनियम, 1956 में सिंहलियों एवं तमिलों के मध्य शत्रुता पैदा की। इसी ने पहले तमिल विरोधी दंगे की चिंगारी पैदा की।*(एशियन सर्वे,* भाग 50, अंक 1, जनवरी/फरवरी 2010, 104–111)

प्रजातीय समस्या के कारण

श्रीलंका में प्रजातीय–धार्मिक विविधता से समाज की संरचना जटिल हो गयी है। अधिकांश मुस्लिम तमिल भाषा बोलते हैं। अधिकांश सिंहली बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और लगभग 10 प्रतिशत सिंहली ईसाई हैं। तमिलों में अधिकांश हिन्दू हैं तथा केवल 7 प्रतिशत तमिल ईसाई हैं। तमिल ईसाईयों एवं कैथोलिक पुजारियों के प्रयासों ने सिंहली–तमिल सम्बंधों पर हानिकर प्रभाव डाला। श्रीलंका में गृहयुद्ध को मुख्य संवेग या प्रोत्साहन भाषायी राष्ट्रवाद से मिला, न कि धार्मिक विभिन्नता से।(बिट्रेड,1992)

श्रीलंका में प्रजातीय समस्या ने वहाँ पर लोकतंत्र की सफलता को रोक रखा है। प्रजातीय समस्या को हल किये बिना वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवहारिक रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। औपनिवेशिक काल में शासन की नीतियों ने तमिलों को लाभ पहुँचाया। अच्छी अंग्रेजी शिक्षा के कारण तमिलों को सरकारी क्षेत्र एवं विश्वविद्यालयों में उनकी आबादी के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व मिला। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान एवं स्वतंत्रता तक तमिल अभिजन स्वयं को प्रजातीय रूप से सिंहली अभिजन के समान मानते थे। जब वहाँ पर 1931 में सार्वजनीन वयस्क मताधिकार लागू हुआ तब कुछ तमिलों में समुदाय की वर्तमान स्थिति के खराब होने का भय पैदा हो गया। इसलिए उन्होंने यह मांग की कि सिंहली एवं अल्पसंख्यकों को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाय। इस मांग से प्रजातीय विवाद को बढ़ावा मिला। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति तक सिंहली एवं तमिल अभिजनों में अच्छे सम्बन्ध बने रहे।*(एशियन सर्वे,* भाग 49, अंक 6, नवंबर/दिसंबर 2009,1025)

आजादी के बाद श्रीलंका में बौद्ध सिंहलियों द्वारा यह अनुभव किया गया कि आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण से बौद्ध धर्म की विरासत को खतरा है। यद्यपि सिंहली बहुसंख्यक हैं, परन्तु उनके पास बहुसंख्यकों वाली मानसिकता नहीं है। एस0जे0 टामबिआह ने सिंहलियों को *'अल्पसंख्यक मनोग्रंथि के साथ एक बहुसंख्यक'* (टामबिआह, 1986, 92) कहा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक होते हुए भी सिंहली दक्षिण एशिया के सन्दर्भ में अपने को अल्पसंख्यक समझने लगे। सिंहली संस्कृति एवं भाषा केवल श्रीलंका प्रायद्वीप में पायी जाती है, इसलिए उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने का डर सताने लगा। 1955 से एक पुनरुत्थानवादी आन्दोलन तेज होने लगा। बहुसंख्यक होने के कारण श्रीलंका फ्रीडम पार्टी एवं युनाइटेड नेशनल पार्टी के लिए इस आन्दोलन एवं सिंहली हितों को नजरअंदाज करना मुश्किल होने लगा। 1956 में सिंहला भाषा को सरकारी भाषा घोषित किया गया जिससे तमिल भाषी लोगों के लिए रोजगार एवं अन्य अवसरों के दरवाजे बंद हो गये।*(पोलिटिकल स्टडीज,* भाग 52, 2004, 15) पुनरुत्थानवादियों का कहना था कि गौतम बुद्ध ने श्रीलंका को बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में चुना था। इसलिए सिंहली राष्ट्र की यह जिम्मेदारी है कि वह श्रीलंका को बौद्ध धर्म के राष्ट्र स्तम्भ के रूप में विकसित करे। इससे गैर सिंहली जनता को श्रीलंकाई समाज में बाहरी समझा जाने लगा और यह समझा गया कि उनका श्रीलंका में कोई स्थान नहीं है। इस आन्दोलन ने प्राचीन ऐतिहासिक युद्धों को जनस्मृति में लाना शुरू कर दिया जिसमें सिंहली शासकों को तमिलों से बड़ा संघर्ष करना पड़ा था।

पुनरुत्थानवादी आन्दोलन ने सिंहली–तमिल जातीय समस्या को बहुत अधिक बढ़ाया। सिंहली–तमिल–अभिजनों की एकता तब टूट गयी जब श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के एस0डब्ल्यू0आर0 भंडारनायके ने सिंहला एवं तमिल भाषा को सरकारी भाषा बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए केवल सिंहला को सरकारी भाषा बनाने का समर्थन किया। भंडारनायके इसी आधार पर 1956 का चुनाव जीत गये। इस चुनावी जीत का विश्लेषण करने के बाद यूनाइटेड नेशनल पार्टी सिंहली संस्कृति का संरक्षण करने की दिशा में और आगे बढ़ गयी। इस प्रकार श्रीलंका के दोनों प्रमुख दलों में बौद्ध–सिंहली संस्कृति को बढ़ावा देने की होड़ लग गयी और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय हाशिये पर चला गया।*(एशियन सर्वे,* भाग 49, अंक 6, नवंबर/दिसंबर 2009, 1025)

भंडारनायके सरकार ने 1956 मे मात्र सिंहला अधिनियम पारित करवाकर केवल सिंहला भाषा को सरकारी भाषा बनवा दिया। इससे तमिल हितों पर भयंकर कुठाराघात हुआ जिससे तमिल असंतोष बढ़ने लगा। सिरीमाओ भंडारनायके की सरकार ने अपने दो कार्यकालों 1960–65 एवं 1970–77 में ऐसी नीतियों को स्थापित किया जिनसे बौद्ध–सिंहली को सर्वोच्चता मिले एवं तमिल अधीनता की स्थिति में आये।*(एशियन सर्वे,* भाग 49, अंक 6, नवंबर/दिसंबर 2009,1025–1026) सिंहली पोशाक और संस्कृति से राष्ट्रवाद की व्याख्या की जाने लगी। इससे श्रीलंका की दूसरी बड़ी प्रजाति तमिलों के मन में आशंकाएँ पैदा हुई और उनका असंतोष एक राजनीतिक आंदोलन में बदलने लगा। सिंहली नेता उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे।

दक्षिण प्रान्तों के तमिल दो हजार वर्षों से श्रीलंका में रह रहे हैं इसलिए वे सिंहली संस्कृति में मिल गये हैं परन्तु उत्तर एवं पूर्वी क्षेत्रों की बहुसंख्यक तमिल आबादी कुछ शताब्दियों पहले ही भारतीय क्षेत्रों से जाकर वहाँ बसी है। उत्तरी क्षेत्रों में उनके छोटे–छोटे राज्य रहे हैं। उनमें असंतोष सबसे अधिक भड़का और उन्होंने तमिलों को बराबरी का दर्जा और तमिल संस्कृति को बराबर की पहचान दिये जाने की मांग

की। 1975 तक आंदोलन शान्तिपूर्ण था और उनके नेता गांधीवादी थे। लेकिन पुरानी पीढ़ी के हट जाने के बाद आंदोलन ने हिंसक रूप धारण करना शुरू किया। जब तक सरकार ने समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने शुरू किये तब तक वह हिंसक हो चुका था।(*जनसत्ता,* 21 अक्टूबर 2008, पृष्ट 6)

वर्ष 1977 में ही श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने तमिलों की भाषा और शिक्षा सम्बन्धी अनेक मांगों को स्वीकार कर लिया था। लेकिन उस समय तक तमिल संगठनों की मांग सांस्कृतिक समानता नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्ता हो गयी थी। तमिलों ने स्वयं को सिंहलियों से सांस्कृतिक रूप से अलग पाया और चूँकि वह देश के एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं इसलिए उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एक स्वायत्त राजनीतिक इकाई के गठन को सबसे अच्छा रास्ता समझा।(ओबर्स्ट,1988,183–184)

प्रजातीय समस्या के परिणाम

राज्य द्वारा प्रजातीय भेदभाव के कारण श्रीलंका में तमिल अलगाववाद का आरंभ हो गया। 1972 के संविधान ने बौद्ध धर्म को सबसे प्रमुखता दी तथा अन्य धर्मों का दर्जा घटाकर धर्मनिरपेक्षता से राज्य पीछे हट गया। नौकरशाही में नियुक्त नये सिंहलियों के अपमानजनक व्यवहार से तमिलों का राज्य से अलगाव बढ़ने लगा। 1972 में तमिल न्यू टाइगर्स की स्थापना हुई तथा 1976 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) का गठन हुआ। उस समय श्रीलंका के तमिलों की मांगों को लेकर कोई दो दर्जन संगठन सक्रिय थे। वे श्रीलंका की जातीय समस्या हल करने के लिए किये जा रहे भारत के शान्तिवादी प्रयासों के समर्थक थे। लिट्टे ने स्वतंत्र तमिल राज्य (ईलम) की स्थापना को अपना लक्ष्य घोषित किया और इसके लिए हिंसा का सहारा लिया। तमिल टाइगरों ने सबसे पहले शान्तिवादी संगठनों के खिलाफ मोर्चा बांधा। लिट्टे ने हिंसा एवं आतंक के जरिए इन संगठनों को या तो खदेड़ दिया या अपने में मिलने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद 13 जुलाई 1983 को तमिल टाइगरों ने श्रीलंका सरकार के विरुद्ध खुला युद्ध शुरू कर दिया। 1983 से लेकर 2009 तक श्रीलंका गृहयुद्ध की आग में झुलसता रहा जबकि मई 2009 में युद्ध में श्रीलंका की सेना ने लिट्टे का सफाया कर दिया।

श्रीलंका ने गृहयुद्ध की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इस युद्ध से लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हुए और एक लाख से अधिक लोग इसमें मारे गये। समाज का सैन्यीकरण हुआ, राज्य का विकास रुक गया एवं राजनीतिक संस्थाओं का पतन हुआ।*(एशियन सर्वे,* भाग 49, अंक 6, नवंबर/ दिसंबर 2009, 1046–1047) युद्ध के दौरान दोनों पक्षों द्वारा नागरिकों के मानवाधिकारों का जमकर उल्लंघन हुआ। गृहयुद्ध के आरम्भ के बाद सामाजिक सेवाओं पर खर्च होने वाली धनराशि का बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा क्षेत्र पर खर्च होने लगा। प्रजातीय समस्या ने अन्ततः श्रीलंका में लोकतंत्र को असफल बना दिया।

लम्बे समय तक तमिल टाइगरों का श्रीलंका के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा रहा और इन क्षेत्रों के नागरिक उनके नियंत्रण में रहे। भारत और श्रीलंका के मध्य 1987 में एक शांति समझौता हुआ जिसमें तमिलों के क्षेत्रीय स्तर पर शासन सौंपने की बात थी। प्रजातीय समस्या के समाधान एवं लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की दिशा में यह एक प्रगतिशील कदम हो सकता था परन्तु लिट्टे ने इसे सफल नहीं होने दिया। भारत से शांति समझौते की स्थापना के लिए 1987 में भेजी गयी शांति सेना भी 1990 में वापस स्वदेश लौट गयी। वास्तव में तमिल टाइगरों को आतंकवादी हमलों की सफलता से एक ऐसा नशा हो गया था जिसमें हिंसा प्रधान हो गयी और लक्ष्य गौण।

जून 1990 से लिट्टे एवं श्रीलंका की सेना में पुनः युद्ध शुरू हो गया। 1994 में चंद्रिका कुमारतुंगा के समय सेना ने अधिकतर उत्तरी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1998 के बाद स्थिति बदल गयी और तमिल टाइगरों का उत्तरी क्षेत्र को देश के शेष भाग से अलग करने वाले हाथी दर्रे पर भी कब्जा हो गया। यद्यपि प्रजातीय समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारतुंगा ने 1995 में एक पैकेज रखा जिसमें देश के आठ स्वायत्त क्षेत्रों की स्थापना की बात थी अर्थात् श्रीलंका एकात्मक देश न रहकर स्वायत्त क्षेत्रों का एक संघ बन जाता परन्तु बात आगे नहीं बढ़ पाई।*(एशियन सर्वे,* भाग 36, अंक 2, फरवरी 1996,219–221) सेना के निरन्तर हमलों को देखते हुए सन् 2001 में लिट्टे ने एक अलग राज्य की मांग छोड़ दी, क्षेत्रीय स्वायत्ता पर राजी हो गये और एकतरफा युद्धविराम घोषित कर दिया। फरवरी 2002 में श्रीलंका की सरकार एवं लिट्टे के मध्य युद्धविराम हो गया। यद्यपि इसके बावजूद लिट्टे ने बातचीत में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। मार्च 2004 में तब निर्णायक मोड़ अया जब लिट्टे के पूर्वी क्षेत्र के कमांडर करुणा विद्रोह करके प्रभाकरन से अलग हो गये। उन्होंने सत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रस्ताव मान लिया। सन् 2007 तक लगभग पूरा पूर्वी प्रान्त लड़ाई के बाद सेना के हाथ में आ गया।

जनवरी 208 में श्रीलंका सरकार ने युद्धविराम की समाप्ति की घोषणा के साथ उत्तरी क्षेत्रों पर निर्णायक हमला शुरू किया। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध के बाद मई 2009 में लिट्टे का सफाया हो गया। युद्ध की समाप्ति के बाद 11,664 लिट्टे सदस्यों ने श्रीलंका की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार तीन दशकों से चला आ रहा गृहयुद्ध मई 2009 को समाप्त हो गया।(*फ्रन्टलाइन,* भाग 26, अंक 10, मई 09–22, 2009)

लिट्टे की समाप्ति एवं गृहयुद्ध का अन्त श्रीलंका की प्रजातीय समस्या के समाधान से जुड़े हुए हैं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रजातीय समस्या समाप्त हो गयी। मई 2009 में राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपक्षे ने कहा कि 'युद्ध लिट्टे के खिलाफ था, तमिलों के नहीं। देश के तमिल भाषी लोगों की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। यह मेरा कर्तव्य है। सभी को समान अधिकार

दिये जायेंगे और लोग बिना किसी भय के रह सकेंगे'। यद्यपि राष्ट्रपति ने प्रजातीय समस्या के हल हेतु कदम उठाने की बात की थी परन्तु 2010 में राष्ट्रपति चुनाव एवं संसदीय चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपक्षे की सरकार ने देश में प्रजातीय मेल–मिलाप एवं संभावित प्रजातीय तनाव के राजनीतिक समाधान के स्थान पर राजनीतिक मजबूती को प्राथमिकता दी।(*एशियन सर्वे,* भाग 51, अंक 1, जनवरी/फरवरी 2010,134–135) सन् 2011 एवं 2012 में भी प्रजातीय मेल–मिलाप की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई बल्कि विकेन्द्रीकरण के स्थान पर केन्द्रीकरण पर बल दिया गया।(*एशियन सर्वे,* भाग 53, अंक 1, जनवरी/फरवरी 2013, 64–72) जनवरी 2015 से कार्यरत राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना की सरकार ने प्रजातीय समस्या के राजनीतिक समाधान की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं यद्यपि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

प्रजातीय समस्या के समाधान हेतु सुझाव

श्रीलंका में प्रजातीय समस्या के हल के बिना वहाँ पर वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। प्रजातीय समस्या ने देश को लंबे समय तक गृहयुद्ध की आग में जलाया। मानवाधिकारों का हनन, अलगाववाद का आरंभ एवं गृहयुद्ध के कारण व्यापक स्तर पर मानवीय समस्या के उत्पन्न होने का कारण प्रजातीय समस्या ही थी। लिट्टे के अलगाववादी विद्रोह की 2009 में समाप्ति ने सरकार को यह अवसर उपलब्ध कराया है कि वह प्रजातीय मेल–मिलाप, व्यापक लोकतंत्रीकरण के लिए संवैधानिक सुधार और प्रजातीय अल्पसंख्यकों को भविष्य में अलगाववादी आंदोलन से दूर रखने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता बढ़ाने की दिशा में काम कर सके। प्रजातीय समस्या के समाधान का सबसे बेहतर तरीका यह हो सकता है कि वहाँ पर संघीय शासन की स्थापना की जाये और प्रान्तों को क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान की जाय। श्रीलंका एक बहुप्रजातीय, बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक राज्य है जिस वजह से भी वहाँ पर लोकतंत्र एवं शांति की स्थापना हेतु विकेन्द्रीकरण अनिवार्य हो जाता है।

निष्कर्ष

दक्षिण एशियाई देशों में प्रजातीय समस्या एक प्रमुख सामाजिक समस्या है जिसने इन देशों में लोकतंत्र, शान्ति एवं विकास की राह को कठिन बनाया है। श्रीलंका में प्रजातीय समस्या मुख्य रूप से भाषायी भेदभाव से जुड़ी हुई है न कि धार्मिक विभिन्नता से। सरकार ने 1956 के मात्र सिंहला अधिनियम द्वारा सिंहला भाषा को सरकारी भाषा बनाकर दोनों प्रमुख प्रजातियों सिंहली एवं तमिल के मध्य प्रजातीय समस्या को जन्म दिया। भाषायी भेदभाव ने तमिल संगठन लिट्टे एवं राज्य के मध्य तीन दशक लम्बे गृहयुद्ध को जन्म दिया जिसमें मानवाधिकारों का जमकर उल्लंघन हुआ, एक लाख से अधिक लोगों की मौत हो गयी एवं कई लाख लोगों का जीवन नारकीय हो गया। गृहयुद्ध के दौरान श्रीलंका में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वास्तव में प्रजातीय समस्या श्रीलंका में लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है। प्रजातीय बहुसंख्यकवाद की नीति ने वहाँ पर लोकतंत्र को पंगु बनाकर सैन्यीकरण को बढ़ावा दिया। 2009 में लिट्टे की पराजय के बाद श्रीलंकाई राज्य को प्रजातीय मेल–मिलाप एवं प्रजातीय समस्या के राजनीतिक समाधान का अवसर मिला है। श्रीलंकाई समाज की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वहाँ की प्रजातीय समस्या का एकमात्र समाधान विकेन्द्रीकरण ही है। इसके लिए श्रीलंका में एक स्वायत्त राज्यों के संघ की स्थापना की जानी चाहिए।

सन्दर्भ

ए0 कैथरीन एण्ड एन्ड्रयू व्याट, 'डिमोक्रेसी इन साउथ एशिया : गेटिंग बियांड द स्ट्रक्चर – एजेंसी डिकॉटमि', *पोलिटिकल स्टडीज,* भाग 52, 2004,

एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका : मिथ्स एण्ड फैक्ट्स, *इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली,* भाग 18, संख्या 39, सितम्बर 24, 1983,

यंगोड़ा, जयदेव, 'श्रीलंका इन 2010 : रेजीम कनसोलिडेशन इन अ पोस्ट–सिविल वार इरा', *एशियन सर्वे,* भाग 51, अंक 1, जनवरी/फरवरी 2010,

यंगोड़ा, जयदेवा, 'श्रीलंका इन 2009 : फ्राम सिविल वार टू पोलिटिकल अनसर्टेनिटीज', *एशियन सर्वे,* भाग 50, अंक 1, जनवरी/फरवरी 2010,एवं *दैनिक जागरण,* 20 मई 2009, वाराणसी,

शाफर, हॉवर्ड बी0, 'श्रीलंका इन 1995 : अ डिफिलिक्ट एंड डिसअपॉइंटिंग ईयर', *एशियन सर्वे,* भाग 36, अंक 2, फरवरी 1996,

बनवारी, तमिल राजनीति बनाम विदेश नीति, *जनसत्ता,* 21 अक्टूबर 2008,

डिवॉंट्टा, नेइल, 'द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एंड द लास्ट क्वेस्ट फॉर सिपरेटिज्म इन श्रीलंका', *एशियन सर्वे,* भाग 49, अंक 6, नवंबर/दिसंबर 2009,

रेड्डी, बी0 मुरलीधर, 'एण्डगेम', *फ्रन्टलाइन,* भाग 26, अंक 10, मई 09–22, 2009.

स्टेनले जे0, बुद्धिज्म बिट्रेड (1992): *पोलिटिक्स एंड वायलेंस इन श्रीलंका,* यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो,

टामबिआह, स्टेनल जे0(1986) श्रीलंका : *ऐथनिक फ्रेटरिसाइड एंड द डिसमैन्टलिंग ऑफ डिमोक्रेसी,* यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो,

ओबर्स्ट, राबर्ट सी0, 'फेडरलिज्म एंड द एथनिक कॉम्प्लिक्ट इन श्रीलंका', *पब्लियस,* भाग 18, अंक 3, 1988,

गुडहैण्ड, जोनाथन, 'श्रीलंका इन 2012 : सिक्योरिंग द स्टेट, इनफोर्सिंग द ''पीस'' ', *एशियन सर्वे,* भाग 53, अंक 1, जनवरी/फरवरी 2013,